मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर, 2011 (अग्रहायण 11, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दैरान, सदन के कुशल संचालन हेतु अध्यक्ष महोदय को बधाई

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री तथा श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्यगण द्वारा मंत्रिमण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पर 25 घण्टे से अधिक सदन में चर्चा के कुशल संचालन के लिए अध्यक्ष महोदय को बधाई दी गई। साथ ही, सम्पूर्ण सदन के सदस्यों द्वारा भी खड़े होकर अध्यक्ष महोदय को बधाई दी गई एवं आभार व्यक्त किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा की शानदार परम्परा के अनुरूप, सदन में अनुशासित एवं व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न चर्चा हेतु, सभी दलों के सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त की गई।

2. स्वागत - उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्री विक्रम सिंह उसेंडी, वन मंत्री, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थिति पर, सदन की ओर से स्वागत किया गया।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 14 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 141 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 156 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर शामिल थे।

4. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 46 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। तद्नुसार, निम्नलिखित सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिए संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तद्नुसार -

(1) श्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा, सदस्य की सोनकच्छ में विद्युत ट्रांसफार्मर जले होने,
(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश में कमी होने,
(3) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ एवं ब्यावरा तहसीलों में एच.पी. गैस एजेन्सी द्वारा कालाबाजारी करने,
(4) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की कान्हा राष्ट्रीय अभयारण्य में काले हिरणों की मौत होने,
(5) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले में कैरोसीन आवंटन की मात्रा बढ़ाई जाने,
(6) श्री हितेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य की बेड़िया में मिर्ची मण्डी का स्थान व्यवस्थित न होने,
(7) श्री रामकिशोर कावरे, सदस्य की परसवाड़ा के ग्रामों में हाई स्कूल की स्वीकृति न होने,
(8) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य की बढ़ती मंहगाई के कारण मकान बनाना मुश्किल होने,
(9) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की रैगांव के वसुधा में विद्युत सप्लाई में असुविधा होने,
(10) श्री गौतम टेटवाल, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम साबरस्या कडलावद में विद्युतगृह न होने,
(11) श्री ध्रुवनारायण सिंह, सदस्य की भोपाल जिले में सेन्ट्रल लायब्रेरी से मंगलवारा क्षेत्र की सड़क खराब होने,
(12) डॉ. (श्रीमती) विनोद पंथी, सदस्य की स्वास्थ्य विभाग की आशा योजना के पैसे का सदुपयोग न होने,
(13) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी जिले के ढीमरखेड़ा के उपयंत्री का अपहरण होने,
(14) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति, सदस्य की विजयराघवगढ़ के बहोरीबंद में विद्युत सब स्टेशन खराब होने,
(15) श्री रामलखन सिंह , सदस्य की सतना जिले के रामपुर बघेलान में विद्युत प्रदाय बढ़ाए जाने,
(16) श्री राजेश कुमार वर्मा, सदस्य की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चिकित्सक विहीन होने,
(17) श्री विश्वेश्वर भगत, सदस्य की बालाघाट जिले के खैरलांजी के धान के कृषकों को मुआवजा राशि न दी जाने,
(18) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले में सड़कों की हालत जर्जर होने,

(19) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की सतना जिले के सिमरिया चौक में म.प्र. गृह निर्माण मण्डल की भूमि पर बाजार का निर्माण होने,

(20) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य की जबलपुर जिले में एक मुस्लिम लड़की के विवाह पर विवाद होने,

(21) श्री राजवर्धन सिंह, सदस्य की आयुर्वेदिक चिकित्सकों के पद रिक्त होने,

(22) श्रीमती उमादेवी खटीक, सदस्य की हटा नगर में अतिक्रमण होने,

(23) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल, सदस्य की बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्य बंद होने,

(24) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले के अस्पताल में पदस्थ अधिकारियों द्वारा अनियमितता की जाने,

(25) श्री अभय कुमार मिश्रा, सदस्य की रीवा जिले के सेमरिया क्षेत्र में बहरोलिया जाति के आदिवासियों को सुविधाएं न मिलने,

(26) श्री रामदयाल अहिरवार, सदस्य की छतरपुर जिले के ग्राम प्रकाश बम्होरी में नीलगायों द्वारा फसलें नष्ट की जाने,

(27) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्य की ग्वालियर स्थित जे.सी.मिल के मजदूरों के स्वत्वों का भुगतान न होने,

(28) श्री अन्तर सिंह आर्य, सदस्य की सेंधवा क्षेत्र की देब नदी पर जिकनेल एवं इन्टेक सम्बन्धी निर्माण न होने,

(29) श्री श्रीकांत दुबे, सदस्य की पन्ना जिले में अजयगढ़ क्षेत्र में विद्युत संकट होने,

(30) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की विजयपुर के विद्यालयीन छात्रों की पढ़ाई न होने,

(31) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की मत्स्य प्रकोष्ठ, नर्मदा नगर में फर्जीवाड़ा होने,

(32) श्री कमलेश जाटव, सदस्य की चंबल संभाग, मुरैना जिले में स्काउट गाइड का केन्द्र स्थापित किये जाने,

(33) श्री संतोष जोशी, सदस्य की इंदौर जिले के संभागीय सचिव के पद पर भ्रष्ट अधिकारी पदस्थ किए जाने,

(34) श्री प्रताप ग्रेवाल, सदस्य की रतलाम में त्रिवेणी डेरी जलाशय के क्षतिग्रस्त होने,

(35) श्री माखनलाल राठौर, सदस्य की शिवपुरी जिले में ट्रामा सेन्टर में चिकित्सक एवं सुविधाओं का अभाव होने,

(36) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य की जनपद पंचायत होशंगाबाद जिले के मीटिंग हॉल का निर्माण न होने,

(37) श्री भगत सिंह नेताम, सदस्य की बालाघाट जिले के वन क्षेत्र में बैगा आदिवासी परिवारों की झोपड़ियां तोड़ी जाने,

(38) श्री रोडमल राठौर, सदस्य की उज्जैन जिले में स्वच्छता उपकरणों को ऊंची दरों पर क्रय किये जाने,

(39) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य की पटवारियों को उनके गृह तहसीलों में पदस्थ न किये जाने,

(40) श्री केदारनाथ शुक्ल, सदस्य की सतना जिले के इटमा कला विद्यालय का हैण्डपम्प खराब होने,

(41) श्री रणजीत सिंह गुणवान, सदस्य की भोपाल जिले की साराह गैस एजेन्सी द्वारा कालाबाजारी की जाने,

(42) श्री अरूणोदय चौबे, सदस्य की भोपाल से सुल्तानगंज हेतु परिवहन सुविधा न होने,

(43) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की रायसेन जिले में बासमती धान की खरीदी कम कीमत में की जाने,

(44) श्री रणवीर सिंह जाटव, सदस्य की भोपाल जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी सेन परिवार पर हमला होने,

(45) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य की कसरावद में मराल ओवरसीज कंपनी की वजह से प्रदूषण होने तथा

(46) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के ग्राम कुंडम में आदिवासी परियोजना का लाभ न मिलने

संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत हुईं मानी गईं।

5. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार मंत्री ने (क) मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे, वर्ष 2010-11 तथा (ख) दि मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 41वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे, वर्ष 2009-10 पटल पर रखे।

(2) श्री राजेन्द्र शुक्ल, राज्यमंत्री, ऊर्जा ने मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2010-11 पटल पर रखा।

6. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से सूचित किया गया कि आज की कार्यसूची में 44 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को उनके विषय की गंभीरता और महत्व को देखते हुए सम्मिलित किया गया है। विधान सभा नियमावली के नियम 138 (3) को शिथिल करके यह प्रक्रिया निर्धारित की गई है कि इनमें क्रमश: प्रथम 11 ध्यानाकर्षण सूचनाओं को संबंधित सदस्यों के द्वारा सदन में पढ़ी जाने के पश्चात् संबंधित मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जायेगा तथा उनके संबंध मे सदस्यों द्वारा नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकेंगे। उसके बाद की अन्य सूचनाओं के संबंध में प्रक्रिया यह होगी कि वे सूचनाएं सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जायेंगी तथा उनके संबंध में लिखित वक्तव्य संबंधित मंत्री द्वारा पटल पर रखा माना जाएगा। लिखित वक्तव्य की एक-एक प्रति सूचना देने वाले सदस्यों को दी जायेगी। उपस्थित सदस्यों की सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही में मुद्रित किया जायेगा। तद्नुसार -

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले में हत्या के आरोपी न पकड़े जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य ने भिण्ड जिले के तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अभिलेखों को कूट-रचित कर अनियमितता किये जाने की ओर राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री महेन्द्र हार्डिया, राज्यमंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री रामनिवास रावत, सदस्यगण ने जिला सहकारी बैंक, भिण्ड के अध्यक्ष द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया तथा बृजराज सिंह, सदस्यगण ने भिण्ड जिले के थाना प्रभारी, फूफ द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) सर्वश्री सुखदेव पांसे तथा ध्रुवनारायण सिंह, सदस्यगण ने भोपाल जिले के व्यस्ततम क्षेत्र, जी.टी.बी. काम्पलेक्स में शराब की दुकान संचालित होने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) सर्वश्री एदल सिंह कंसाना, रामनिवास रावत, मनीराम धाकड़, यशपाल सिंह सिसोदिया, रणजीत सिंह गुणवान तथा सुरेश चौधरी, सदस्यगण ने मुरैना जिले के ग्राम पंचायत गौसपुर के सचिव पर कार्रवाई न होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(7) सर्वश्री कमल पटेल तथा अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्यगण ने हरदा में एक कार्यकर्ता के साथ मारपीट होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(8) सर्वश्री केदारनाथ शुक्ल, विश्वामित्र पाठक तथा गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्यगण ने सीधी जिले के बढौरा में शिव मंदिर स्थित दुकानदारों से जबरन वसूली किये जाने की ओर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(9) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर जिले के स्लाटर हाऊस में आधुनिक मशीनें न लगाई जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(10) सर्वश्री पारस सकलेचा, यशपाल सिंह सिसोदिया, राजवर्धन सिंह, श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी तथा श्री ओमप्रकाश सकलेचा, सदस्यगण ने लेबड़ से जावरा फोरलेन निर्माण में अनुबंध के अनुसार कार्य न होने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री नागेन्द्र सिंह (नागौद), लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(11) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य ने खंडवा जिले में ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा के अंतर्गत छात्रावास के निर्माण में अनियमितता होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, कार्यसूची के पद 3 के उपपद (12) से (44) तक के सदस्यों की निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनाएं तथा उन पर संबंधित मंत्रीगण द्वारा वक्तव्य पढ़े माने गए -

(12) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य की खण्डवा जिले की कठोरा उद्वहन सिंचाई योजना पूर्ण न होने संबंधी सूचना तथा मुख्यमंत्री का वक्तव्य।

(13) श्री राधेलाल बघेल, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री भगवान सिंह राजपूत, सदस्यगण की दतिया जिले में रेत का अवैध उत्खनन कर रायल्टी की चोरी होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री खनिज साधन का वक्तव्य।

(14) सर्वश्री हेमराज सिंह कल्पोनी तथा पुरूषोत्तम दांगी, सदस्यगण की राजगढ़ जिले में सोयाबीन व खरीफ की क्षतिग्रस्त फसलों की बीमा राशि का भुगतान न होने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(15) श्री संजय पाठक, सदस्य की कटनी में पदस्थ सहायक संचालक, मत्स्योद्योग द्वारा पद का दुरूपयोग किये जाने संबंधी सूचना तथा मछलीपालन मंत्री का वक्तव्य।

(16) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले के करैरा क्षेत्र में लिफ्ट माईनर के कार्य में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(17) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल जिले में सड़कों की जर्जर हालत होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(18) श्री आरिफ अकील, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री रामलखन सिंह, सदस्यगण की अनेक जिलों में मलेरिया व डेंगू का प्रकोप होने संबंधी सूचना तथा लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(19) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले की बहुउद्देशीय परियोजना, कुशलपुरा के अंतर्गत निर्माण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(20) श्री मोती कश्यप, सदस्य की कटनी जिले के कुम्हारों को रेत निकासी पर रायल्टी की छूट न दिये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(21) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले में खाद्यान्न की कालाबाजारी होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण का वक्तव्य।

(22) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम शमशेरपुरा से टोई तक नहर निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(23) श्री मोती कश्यप, सदस्य की कटनी जिले के दतला में जलाशय के क्षतिग्रस्त एक्वाडक्ट का पुनर्निर्माण न होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(24) श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य की सतना जिले के परसमनिया के सरपंच द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर राशि का आहरण किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(25) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खंडवा जिले के ग्राम बिजोरामाफी में अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(26) श्री पुरूषोत्तम दांगी, डॉ. गोविन्द सिंह तथा रणवीर सिंह जाटव, सदस्यगण की भिण्ड जिले में सिंध नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(27) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सतना जिले के नागौद एवं उचेहरा क्षेत्र के ग्राम पंचायतों द्वारा बगैर स्वीकृति पौधों की खरीदी किये जाने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

(28) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की संजय सागर बांध के डूब प्रभावितों के मुआवजा वितरण में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(29) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा उप संभाग में विद्युत ट्रांसफार्मर न बदले जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, ऊर्जा का वक्तव्य।

(30) श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्य की भोपाल जिले के जे.के. रोड स्थित शॉपिंग काम्पलेक्स में अवैध निर्माण के दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही न होने संबंधी सूचना तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का वक्तव्य।

(31) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की सिंगरौली जिले की भैसाहुन रेत खदान से अवैध उत्खनन होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(32) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले के ग्राम मौहार में विषाक्त भोजन के सेवन से तीन बच्चों की मौत होने संबंधी सूचना तथा सहकारिता मंत्री का वक्तव्य।

(33) श्री परसराम मुद्गल, सदस्य की मुरैना जिले में अवैध रूप से भूमि के पट्टे दिये जाने संबंधी सूचना तथा राजस्व मंत्री का वक्तव्य।

(34) श्री मनीराम धाकड़, सदस्य की मुरैना जिले के सुनहरा नहर में कम मात्रा में पानी दिये जाने संबंधी सूचना तथा जल संसाधन मंत्री का वक्तव्य।

(35) श्री रमेश सक्सेना, सदस्य की सीहोर जिले के वन परिक्षेत्र इछावर के अंतर्गत निस्तारी लकड़ी न मिलने संबंधी सूचना तथा वन मंत्री का वक्तव्य।

(36) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य की चंबल संभाग में बिजली आपूर्ति न होने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, ऊर्जा का वक्तव्य।

(37) श्री आत्माराम पटेल, सदस्य की कपास उत्पादन हेतु जैविक बीज न मिलने संबंधी सूचना तथा किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का वक्तव्य।

(38) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री विश्वास सारंग तथा प्रद्युम्न सिंह तोमर, सदस्यगण की सतना जिले के मेसर्स प्रिज्म सीमेंट द्वारा अवैध उत्खनन कर रायल्टी की चोरी किये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, खनिज साधन का वक्तव्य।

(39) श्रीमती नीना विक्रम वर्मा, सदस्य की धार जिले के ग्राम लेबड़ स्थित शराब की फैक्ट्री में विस्फोट होने से दो श्रमिकों की मौत होने संबंधी सूचना तथा श्रम मंत्री का वक्तव्य।

(40) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खण्डवा जिले के किल्लौद में विद्युत वितरण कार्यालय न खोले जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, ऊर्जा का वक्तव्य।

(41) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले में छात्रावास एवं आश्रम के संचालन में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा आदिम जाति कल्याण मंत्री का वक्तव्य।

(42) श्री राजवर्धन सिंह, सदस्य की सीहोर जिले की आष्टा तहसील के अंतर्गत जिला-बदर की कार्रवाई किये जाने संबंधी सूचना तथा गृह मंत्री का वक्तव्य।

(43) श्री लोकेन्द्र सिंह तोमर, सदस्य की खण्डवा जिले के इंदिरा सागर में मत्स्य बीज के कार्य में अनियमितता होने संबंधी सूचना तथा मछली पालन मंत्री का वक्तव्य।

(44) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सिवनी जिले की अनेक सड़कों की हालत जर्जर होने संबंधी सूचना तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का वक्तव्य।

7. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने लोक लेखा समिति का 134वां से 141वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

8 . विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 228 के अंतर्गत यह प्रस्ताव किया कि -

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, गृह मंत्री, सर्वश्री विश्वास सारंग, आरिफ अकील, रामनिवास रावत, लखन घनघोरिया, ध्रुवनारायण सिंह, हेमराज सिंह कल्पोनी, जितेन्द्र डागा, डॉ. कल्पना परूलेकर एवं डॉ. निशिथ पटेल, सदस्यगण द्वारा संपादक एवं संवाददाता, राज एक्सप्रेस समाचार पत्र के विरूद्ध;

(2) श्रीमती ललिता यादव, सदस्य द्वारा श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य के विरूद्ध;

(3) श्री गिरिजाशंकर शर्मा एवं अन्य सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध;

(4) श्रीमती प्रतिभा सिंह एवं अन्य सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध;

(5) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा नगर निरीक्षक, थाना लहार, जिला भिण्ड के विरूद्ध तथा

(6) श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा श्रीमती विनिता आजम, भोपाल के विरूद्ध

संदर्भित प्रकरणों पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. विशेषाधिकार भंग की विचाराधीन सूचनाएं

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि उनके समक्ष विशेषाधिकार भंग की निम्नलिखित सूचनाएं नियम 239 के अंतर्गत विचाराधीन हैं:-

(1) सर्वश्री बाबूलाल वर्मा, भगत सिंह नेताम, राम किशोर कावरे, दिलीप जायसवाल एवं विजयपाल सिंह राजपूत, सदस्यगण द्वारा कांग्रेस के कतिपय सदस्यों के विरूद्ध;

(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर, यशपाल सिंह सिसोदिया एवं हरेन्द्रजीत सिंह, सदस्यगण द्वारा श्री सिद्धार्थ गुप्ता (एडवोकेट), राष्ट्रीय अध्यक्ष, निर्धन निःशुल्क कानूनी सहायता समिति एवं संवाददाता, राज एक्सप्रेस के विरूद्ध;

(3) श्री हरेन्द्रजीत सिंह एवं अन्य सदस्यगण द्वारा चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सर्वश्री अजय सिंह, हेमराज सिंह कल्पोनी, जेबियर मेड़ा एवं डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्यगण के विरूद्ध;

(4) श्रीमती अर्चना चिटनीस, स्कूल शिक्षा मंत्री द्वारा श्री कांतिलाल भूरिया, अध्यक्ष, म.प्र. कांग्रेस कमेटी के विरूद्ध;

(5) श्रीमती रंजना बघेल, राज्यमंत्री, महिला एवं बाल विकास द्वारा श्री कांतिलाल भूरिया, अध्यक्ष, म.प्र. कांग्रेस कमेटी के विरूद्ध;

(6) श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा श्री मनीष सिंह, आयुक्त, नगर निगम, भोपाल के विरूद्ध;

(7) श्रीमती रेखा यादव, सदस्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी, छतरपुर के विरूद्ध;

(8) श्री पुरूषोत्तम दांगी,सदस्य द्वारा जबलपुर में पदस्थ लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी को स्थानांतरित न किए जाने के विरूद्ध तथा

(9) श्री अनूप मिश्रा, श्रीमती ललिता यादव, सर्वश्री मोती कश्यप, अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्यगण द्वारा डॉ. कल्पना परूलेकर, सदस्य के विरूद्ध

10. विशेषाधिकार समिति को सौंपी गई सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि श्री आरिफ अकील, सदस्य द्वारा श्रीमती विनीता आजम, भोपाल के विरूद्ध दी गई विशेषाधिकार भंग की सूचना को नियम 169 के अंतर्गत परीक्षणोपरांत जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया गया है।

11. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित, निम्नलिखित सदस्यों की विकास कार्यों संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं :-

(1) श्री मानवेन्द्र सिंह (जिला-छतरपुर)
(2) डॉ. भानू राना (जिला-सागर)
(3) इंजी. प्रदीप लारिया (जिला-सागर)
(4) श्री माखनलाल राठौर (जिला-शिवपुरी)
(5) श्री रोडमल राठौर (जिला-उज्जैन)
(6) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी (जिला-रतलाम)
(7) श्रीमती सुलोचना रावत (जिला-अलीराजपुर)
(8) श्री नारायण प्रजापति (जिला-सागर)
(9) श्री प्रेमनारायण ठाकुर (जिला-छिंदवाड़ा)
(10) श्री गिरिजा शंकर शर्मा (जिला-होशंगाबाद)

12. अध्यक्षीय घोषणा

भारतीय जनशक्ति पार्टी का भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में विलय सम्बन्धी घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन में घोषणा की गई कि भारतीय जनशक्ति पार्टी के सदस्य श्री लक्ष्मण तिवारी, श्रीमती रेखा यादव, सर्वश्री देवेन्द्र पटेल, अजय यादव एवं राजेन्द्र सिंह सलूजा, सदस्यगण ने सूचित किया है कि भारतीय जनशक्ति पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है और उसी परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनशक्ति पार्टी विधायक दल का भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में सर्वसम्मति से विलय हो गया है। इन सदस्यों से प्राप्त आवेदन, विलय की प्रक्रिया के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख, भारतीय जनता पार्टी, मध्यप्रदेश के अध्यक्ष की ओर से उक्त विलय की स्वीकृति संबंधी पत्र, भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय, नई दिल्ली के प्रभारी की ओर से प्राप्त पत्र, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से विलय की पुष्टि संबंधी पत्र और मध्यप्रदेश विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता द्वारा उन्हें भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्यों के रूप में मान्य किये जाने संबंधी अनुरोध एवं भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता संबंधी उपबंधों में किये गये प्रावधानों पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात्, आसंदी का यह विनिश्चय है कि मध्यप्रदेश विधान सभा के श्री लक्ष्मण तिवारी, श्रीमती रेखा यादव, सर्वश्री देवेन्द्र पटेल, अजय यादव एवं राजेन्द्र सिंह सलूजा, सदस्यगण उनके दल के विलय के कारण भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन गये हैं और भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप पैरा (1) के अधीन निरर्हित नहीं होंगे।

तद्नुसार, अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि अब निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 29-गुना (अ.जा.), क्रमांक 47-खरगापुर, क्रमांक 53-मलेहरा, क्रमांक 71-मऊगंज तथा क्रमांक 143-सिलवानी से निर्वाचित सदस्य क्रमशः श्री राजेन्द्र सिंह सलूजा, श्री अजय यादव, श्रीमती रेखा यादव, श्री लक्ष्मण तिवारी तथा श्री देवेन्द्र पटेल भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सदस्य हो गये हैं।

उपरोक्त घोषणा के लिए श्री लक्ष्मण तिवारी, सदस्य द्वारा सदन का आभार व्यक्त किया गया तथा श्री अरविन्द सिंह भदौरिया एवं डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्यगण द्वारा बधाई दी गई।

13. सम्पत्ति विवरण का पटल पर रखा जाना

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री द्वारा अपना और परिवार का सम्पत्ति विवरण सदन के पटल पर रखा गया।

14. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन, सहकारिता मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 44 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(2) श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 35 सन् 2011) पर विचार किया जाय तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री अजय विश्नोई, पशुपालन मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 35 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(3) श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 31 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री रामनिवास रावत
(2) श्री बृजराज सिंह
(3) राव देशराज सिंह यादव
(4) श्री पारस सकलेचा
(5) श्री सुरेन्द्र सिंह गहरवार
(6) श्री रमेश प्रसाद खटीक

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री तथा श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2011(क्रमांक 31 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(4) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, लोक सेवा प्रबंधन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 32 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(4) श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति
(5) श्री राधेश्याम नानालाल पाटीदार

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, लोक सेवा प्रबंधन ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, राज्यमंत्री, लोक सेवा प्रबंधन ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 32 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

15. श्री शिवनारायण मीणा, सदस्य द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज की घटना पर सदन को दी गई सूचना

श्री शिवनारायण मीणा, सदस्य द्वारा प्वाइंट ऑफ इनफार्मेशन के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र चाचौड़ा के नगर बीनागंज में आज दिनांक 2 दिसम्बर 2012 को खाद व्यवस्था की मांग कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने की घटना के संबंध में सदन को सूचित किया गया। साथ ही, आसंदी के माध्यम से कृषि मंत्री से अनुरोध किया कि वे खाद की व्यवस्था करवाएं तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावत्ति न हो।

16. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(5) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन विधेयक, 2011 (क्रमांक 33 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री नारायण प्रजापति
(2) श्री ताराचंद बावरिया
(3) श्री पारस सकलेचा

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ। खण्ड 12 का संशोधन :

डॉ. गोविन्द सिंह,सदस्य ने प्रस्ताव किया कि खण्ड 12 के उप खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाय, अर्थात् :-

"परन्तु नगरीय क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं के समान पैतृक व्यवसाय एवं सेवा के रूप में कार्यरत नाई (सेन), धोबी (रजक), दर्जी, मोची एवं कुम्हार समुदाय के लोग जो गुमठी अथवा ठेला लगाकर जीविका चलाते हैं, को प्राथमिकता दी जाय।" तथा भाषण दिया।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संशोधन वापस हुआ।
खण्ड 12 विधेयक का अंग बना।
खण्ड 2 से 11 एवं 13 से 24 विधेयक के अंग बने।
खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।
पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश पथ पर विक्रय करने वालों की जीविका का संरक्षण और विक्रय का विनियमन विधेयक, 2011 (क्रमांक 33 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(6) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री बृजराज सिंह
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री जसवंत सिंह हाड़ा
(5) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री तथा श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(7) डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 37 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

श्री नारायण प्रजापति, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया ।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 201 (क्रमांक 37 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(8) डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री यादवेन्द्र सिंह
(2) श्री राधेश्याम नानालाल पाटीदार
(3) श्री पारस सकलेचा
(4) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(5) राव देशराज सिंह यादव
(6) श्री ओमप्रकाश सकलेचा

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 36 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

(9) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 38 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

(10) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 45 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 45 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

(11) श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2011 (क्रमांक 46 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री राघवजी, वाणिज्यिक कर मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश वेट संशोधन (विधिमान्यताकरण) विधेयक, 2011 (क्रमांक 46 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

(12) श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 47 सन् 2011) पर विचार किया जाय।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(2) श्री पारस सकलेचा
(3) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय विधेयक, 2011 (क्रमांक 47 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक सर्वानुमति से पारित हुआ।

17. अशासकीय संकल्प

(1) श्री विश्वास सारंग, सदस्य का संकल्प कि -"सदन का यह मत है कि प्रदेश के प्रत्येक होटल में जल एवं वातावरण प्रदूषण का लेखा-जोखा रिसेप्शन हाल में दिखाया जाना चाहिए। साथ ही, प्रत्येक होटल में एक पर्यावरणविद का सेवारत होना अनिवार्य कर देना चाहिए.", उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं हुआ।

(2) श्री मोतीलाल तिवारी, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि रेवांचल एक्सप्रेस की भांति भोपाल से रीवा हेतु दिन में भी ट्रेन चलाई जाय." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री नारायन सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री, परिवहन ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(3) श्री पारस सकलेचा, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि शासकीय एवं निजी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में 12वीं के अंकों के आधार पर प्रवेश दिया जाय तथा पी.ई.टी. बंद कर दी जाय." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(4) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि - "सदन का यह मत है कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में वाहनों की पार्किंग व्यवस्था के लिए बहुमंजिला भवनों के बेसमेंट का उपयोग किये जाने हेतु नीति बनाई जाय."

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री पांचीलाल मेड़ा
(2) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

श्री मनोहर ऊटवाल, राज्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

(5) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने यह संकल्प प्रस्तुत किया कि - "यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि प्रधान मंत्री द्वारा गठित मुख्य मंत्रियों की समिति एवं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतों के वायदा बाजार से खाद्य पदार्थों को मुक्त रखना, पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बजट टू बजट स्थिर रखने हेतु स्थायी निधि बनाना तथा सभी वस्तुओं पर एम.आर.पी. के साथ उत्पादन मूल्य मुद्रित करना सहित अन्य सभी वस्तुओं पर अमल किया जाये." तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया। वित्त मंत्री द्वारा उक्त अशासकीय संकल्प में शब्द "वस्तुओं" के पूर्व शब्द "सभी" तथा शब्द "सहित" के पश्चात् शब्दावली "अन्य सभी सुझावों" को विलोपित करके, यथासंशोधित संकल्प स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया।

सदन की अनुमति से यथासंशोधित संकल्प स्वीकृत हुआ।

18. सत्र का समापन

अध्यक्ष महोदय द्वारा सत्र समापन के अवसर पर, निम्नानुसार उद्गार व्यक्त किये गये :-

"मध्यप्रदेश विधान सभा का यह शीतकालीन सत्र अब समापन की ओर अग्रसर है. 12 दिवसीय इस सत्रकाल में सदन की 10 बैठकें हुईं जिनमें अनेक विधायी, वित्तीय और लोक महत्व के कार्य संपन्न हुए। इस सत्र में सदन ने जहां वर्ष 2011-12 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान एवं विगत वर्षों की अधिकाई अनुदान मांगों को स्वीकृति प्रदान की, वहीं 18 शासकीय विधेयक भी पारित किए गए। इस सत्र में ध्यानाकर्षण की कुल 560 सूचनाएं प्राप्त हुई जिनमें से 69 सूचनाएं सदन में प्रस्तुत हुईं। इस सत्र में कुल 3502 प्रश्न प्राप्त हुए जिनमें से 2108 तारांकित एवं 1394 अतारांकित थे। कुल 520 याचिकाएं प्राप्त हुई और 8 अशासकीय संकल्प सदन में प्रस्तुत किए गए। नियम 139 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा हुई। अनेक सभा समितियों के प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किए गए। सदन ने भोजनावकाश स्थगित कर और देर तक बैठकर भी सदन का कार्य सम्पादित किया।

मंत्रिमण्डल के प्रति प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 25 घंटे 30 मिनट चर्चा सम्पन्न हुई। द्वादश एवं त्रयोदश विधान सभा के कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव का यह प्रथम अवसर था। इसके पूर्व में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा के दौरान, इस विधान सभा के कई माननीय सदस्य भी सदन में मौजूद रहे होंगे, वे सभी यह महसूस कर रहे होंगे कि इस बार जो चर्चा का स्तर था, उसमें कहीं न कहीं गिरावट आई है, जो हमारे लिए चिंतनीय है तथा यह विषय आप सभी के चिंतन के लिए छोड़ता हूँ।

विधायी सदनों में नियमों की मर्यादा में संवाद और विचार-विमर्श होता है। इन चर्चाओं में पक्ष-विपक्ष पर आरोप - प्रत्यारोप लगना स्वाभाविक होता है, जो कि स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों में कमियों, त्रुटियों और अव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं, किंतु उनमें व्यक्तिगत या निजी जीवन से जुड़े विषयों का कोई स्थान नहीं है। कई बार आक्रोश में आरोपों से आसंदी भी अछूती नहीं रहती। आसंदी को अधिकार - संपन्न सदन ही बनाता है। अतः यह संपूर्ण सदन का ही दायित्व है कि वह न केवल आसंदी के सम्मान और अधिकार की रक्षा करे, वरन् सदन के सुचारू संचालन में उसके निर्देशों का पालन कर सहयोग भी करे। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आसंदी पर जो बैठता है, वह भी सदन का ही कोई सदस्य होता है, जो नियम-परम्पराओं से बंधा रहता है एवं निष्पक्ष रहते हुए सदन का सुचारू संचालन करना उसका कर्तव्य होता है। अतः आसंदी का सम्मान सदन के प्रत्येक सदस्य का दायित्व है।

सदन के संचालन में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, सभापति तालिका के माननीय सदस्यगण और अन्य सभी माननीय सदस्यों ने मुझे जो सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विधान सभा सचिवालय और शासन के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सुरक्षा-कर्मियों को एवं प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े अन्य सभी को भी उनके सहयोग के लिए धन्यवाद् देता हूँ। मैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी महानुभावों को भी धन्यवाद् देता हूँ, जिन्होंने सदन की कार्यवाही को आमजन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब अगले सत्र में हम सब पुनः समवेत होंगे। इस अवसर पर मैं अपनी और पूरे सदन की ओर से प्रदेशवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, उनके समग्र विकास तथा खुशहाली की कामना करता हूँ। धन्यवाद्।"

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री हरवंश सिंह, उपाध्यक्ष महोदय, सर्वश्री रामलखन सिंह, पारस सकलेचा, सदस्यगण ने भी समापन अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए।

19. राष्ट्रगान

सदन में सदस्यगण द्वारा खड़े होकर राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का समूह गान किया गया।

अपराह्न 6.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 2 दिसम्बर, 2011